फैक्टरी मालिक को 6 महीने की सश्रम कैद, लाखों का जुर्माना

जुर्माना नहीं देने पर जेल में गुजारने होंगे और तीन महीने

नई दिल्ली: 14 दिसंबर, 2012। स्पेशल कोर्ट ने बिजली चोरी के जुर्म में एक फैक्टरी मालिक को छह महीने सश्रम कैद की सजा सुनाई है, और 24 लाख लाख रूपये का जुर्माना भी किया है। यदि वह जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं करता है, तो सश्रम कैद के अलावा, उसे अलग से तीन महीने की सामान्य कैद की सजा भी भुगतनी पड़ेगी।

नांगलाई स्थित कमरूद्दीन नगर निवासी सुरेश को स्पेशल कोर्ट ने 32. 5 किलोवॉट बिजली की चोरी करने का दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे बीआरपीएल की तारों पर कंटिया लगाकर बिजली चोरी करने का दोषी पाया। वह चोरी की बिजली का इस्तेमाल औद्योगिक उद्देश्यों के लिए कर रहा था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार गुप्ता ने अपने फैसले में कहा– मुझे यह बताने में कोई झिझक नहीं है कि शिकायतकर्ता कंपनी ने आरोपी सुरेश के खिलाफ केस साबित कर दिया है। इसलिए, सुरेश को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 की धारा 135 के तहत दोषी करार दिया जाता है।

अपने आदेश में जज ने कहा – इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 135/1 यह कहता है कि अगर चोरी की बिजली का लोड 10 किलोवॉट से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में, ओरोपी को बिजली चोरी से जो आर्थिक लाभ हो रहा था, उसका तीन गुना फाइन किया जाना चाहिए। फाइन तीन गुना से कम नहीं होना चाहिए। इस मामले में, बिजली चोरी का लोड 32. 5 किलोवॉट था और, आरोपी उसका इस्तेमाल औद्योगिक उद्देश्यों के लिए कर रहा था। इसलिए, अभियुक्त को छह महीने सश्रम कैद की सजा सुनाई जाती है।

कोर्ट ने उस पर 24. 33 लाख रूपये का जुर्माना भी किया। इस जुर्माने में फाइन व सिविल लायबिलिटी शामिल हैं। यदि वह फाइन की रकम का भुगतान नहीं करता है, तो सश्रम कैद के अलावा, उसे अलग से तीन महीने की सामान्य कैद की सजा भी भुगतनी पड़ेगी।

कोर्ट ने आगे कहा– बिजली की चोरी की वजह से गर्मियों में लोगों को पसीने बहाने पर मजबूर होना पड़ता है। बिजली चोरी सेफ्टी से जुड़ा हुआ मामला भी है। बिजली चोरी खतरनाक है क्योंकि इसकी वजह से आग लग सकती है और सिस्टम भी फेल हो सकता है। ... मेरे हिसाब से दोषी व्यक्ति किसी नरमी का हकदार नहीं है।

उल्लेखनीय है कि बीआरपीएल ने मार्च, 2008 में सुरेश को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा था। उस पर 9.73 लाख रूपये का जुर्माना किया गया था, जिसका भुगतान उसने नहीं किया। इसके बाद बीआरपीएल मामले को स्पेशल कोर्ट ले गई।

दूसरे फैक्टरी मालिक पर 14 लाख का जुर्माना

एक अन्य मामले में, ख्याला स्थित विष्णु गार्डन निवासी फैक्टरी मालिक अमृत पॉल के खिलाफ भी द्वारका की स्पेशल कोर्ट ने सख्त रवैया दिखाया है और उस पर 14.2 लाख रूपये का जुर्माना किया है। इसमें फाइन और सिविल लायबिलिटी शामिल हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा – मेरे हिसाब से, इस मामले में अगर जुर्माना किया जाता है, तो न्याय का मकसद पूरा हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अगर अभियुक्त फाइन की रकम का भुगतान नहीं करता है, तो उसे छह महीने की सामान्य कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।

गौरतलब है कि बीआरपीएल एन्फोर्समेंट टीम ने मार्च, 2008 में अमृत पॉल की फैक्टरी पर छापा मारा था और वहां 19. 73 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी थी। खास बात यह है कि पॉल का मीटर तो बायपास था ही, साथ ही वह एक अंडरग्राउंड केबल की मदद से बिजली चोरी कर रहा था। छापेमारी के दौरान एन्फोर्समेंट टीम को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा था।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआपीएल व बीवाईपीएल अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

.....